(क) क्या सरकार ने महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया हैं;

(ख) यदि हां,तो ऐसे कुल कितने महानगर है और उनमें कितने प्रतिशत लोग उन गंदी बस्तियों में रहते हैं;

(ग) क्या सरकर ने इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने उद्देश्य से उन्हीं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कोई परियोजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(ड़) चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य (श्री कंडारू दत्तात्रेय): (क) और(ख) जी,नहीं । शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने महानगर,(मेट्रो) शहरों में समल आबादी मालूम करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है,तथापि 1991 की जनगणना के आधार पर नगर एंव ग्राम नियोजन संगठन के आंकलन के अनुसार,23 पहचाने गए महानगर (मैट्रो) शहरों में करीब 26.6% स्लग्र-वासी रह रहे हैं ।

(ग) और(घ) भारत सरकार ने शहरी लोगों के विकास के लिए राज्यों/ऋण आवदेनों की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए अवश्य,1996 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम स्कीम शुरू की थी

(ड़) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत र्व 1998-99 के लिए योजना आयोग ने 350 करोड़ रू.आवंटित किए है ।

Fraudulent practiods by eminent builders in capital

1695. SHRI PARAG CHALIAHA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of many a fraudulent practice indulged in by even eminent builders in the Capital; and

(b) if so, the steps taken/contemplated to put a full stop thereom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHHRI. BANDARU DATTATREYA: (a) Instances of cheating by some bulider in the Capital have been by come beioer in representation addressed to be Government from time to tine.

(b) The cases against the dishonest builders, can be filed under Casumer Protection Act 1986 and also under the Indian Penal Code and action is taken against the persons indulging in fraudulent practices as per due process of law.

A proposal to enact a legislation to control and regulate the activities of promoters & estate agents in the
is also one of the measures intended to curb such malpractices.

गुजरात और महाराष्ट्र में शहरी विकास कार्यक्रम के लिए धनराशि

1696.**श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या मंत्री कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि में धनराशि के आवंटन के प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं;और

(घ) इन राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने में समर्थन बनाने के लिए सरकार धनराशि के आबंटन को कब तक अंतिम रूप देने का विचार रखती हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और(ख) योजना आयोग ने गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के शहरी विकास,आवास (पुलिस आवास),जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रों के लिए नौंवी योजना(1997-2002) राज्य क्षेत्र परिव्यय निम्नलिखित अनुसार अनुमोदित किया हैं ।